FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :–अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
स्वरूपाराम पुत्र भीकाराम जाति मारु कुम्हार निवासी खिंवाडा तह. सुमेरपुर		1. सोनाराम पुत्र देवाराम मारु कुम्हार निवासी खिंवाडा तह. सुमेरपुर 2. ग्राम पंचायत खिंवाडा जरिये सरपंच

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 155/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/351)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1996

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.03.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 08.05.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली	
8/5/24	वकुलाय उप.आज पीठासीन अधिकारी बाली, पाली में पधारे है। पत्रावली दिनांक 24/5/24 को पेश हो।	
24/5/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वरूपाराम पत्र वर्ष 2014 से चल रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित स्थितियां परिवर्तित हो चुकी है। प्रार्थी के निगरानी प्रस्तुत करने का सफल सम्पन्न होने की सम्भावना भी नहीं नजर आती ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र को चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के कर दी। निर्णय सुनाया गया। 24/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	